

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>16-7-21</p>	<p>सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश लेतु नियत दिनांक 16-7-21 को पेश हो।</p> <p>उभय पक्ष उपस्थित पीतरीय अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	<p>स्वीकार्य पत्रावली</p>
<p>20-7-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थोगण उपस्थित वकील प्रार्थोगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठाक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जम्नर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 46/21 प्रा.पत्र

1- मंजू देवी Di० श्री बद्रालख बाहाण निवासी- कैरिया तहसील-माण्डल (हंगरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- लेशीलाल Di० श्री गणेश बाहाण निवासी- कैरिया तहसील-माण्डल (हंगरा)
(सिद्धांकि प्रा. पत्र सलम)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 20.07.2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3532/2968 कुल किता 0.1 रकबा 0.2529 बीघा खरपुर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.03.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3532/2968 कुल किता 0.1 रकबा 0.2529 बीघा खरपुर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा